

(1)

न्यायालय- विशेष न्यायाधीश, अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम
परिषद निनाड, मण्डलेकर

सुचना पत्र

माननीय उच्च न्यायालय म. प्र. जबलपुर के पत्र क्रमांक 345/2020 दिनांक 17-03-2020 में प्रसारित दिशा-निर्देशों के संदर्भ में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण संपूर्ण देश में दिनांक 03.05.2020 तक नियत लॉक डाउन को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय में लंबित समस्त दिवानी एवं आपराधिक प्रकरण निम्न सारणी अनुसार आगामी नियत दिनाकों को सुनवाई में लिये जावेंगे:-

अन. क्र.	पेशी दिनांक	आगामी नियत दिनांक
1.	15.04.2020	04.05.2020
2.	16.04.2020	05.05.2020
3.	17.04.2020	06.05.2020
4.	18.04.2020, 19.04.20 शनि, व रवि. अवकाश	
5.	20.04.2020	08.05.2020
6.	21.04.2020	11.05.2020
7.	22.04.2020	12.05.2020
8.	23.04.2020	13.05.2020
9.	24.04.2020	14.05.2020
10.	25.04.2020	15.05.2020
11.	26.04.2020 रविवार अवकाश	
12.	27.04.2020	18.05.2020
13.	28.04.2020	19.05.2020
14.	29.04.2020	20.05.2020
15.	30.04.2020	21.05.2020
16.	01.05.2020	22.05.2020
17.	02.05.2020	25.05.2020
18.	03.05.2020 रविवार अवकाश	

Continue.....2.....

नोट इस न्यायालय में विचाराधीन संलग्न सूची अनुसार आपराधिक एवं दिवानी प्रकरण जो अंतिम तर्क, अभियुक्त कथन, बचाव साक्ष्य, आदेश एवं निर्णय की अवस्था के प्रकरण निम्नांकित सूची में दर्शायी गयी तिथियों पर सुनवाई में लिये जावेंगे ।

आपराधिक प्रकरण

अ०क्र०	प्रकरण क्रमांक	पक्षकार का नाम	स्टेज	आगामी पेशी दिनांक	रिमार्क
1	आप.रिवी 25/20	प्रताप वि शासन	आदेश हेतु	05.05.2020	
2	वि.सत्र प्र 08/2015	शासन वि निलेश	निर्णय हेतु	12.05.2020	
3	वि.सत्र प्र 30/2011	शासन वि सौभागचंद	अंतिम तर्क	14.05.2020	
4	सत्र प्र 197/2011	शासन वि दयाराम	अंतिम तर्क	14.05.2020	
5	वि.सत्र प्र 06/2019	शासन वि राम	अंतिम तर्क	06.05.2020	
6	वि.सत्र प्र 82/2017	शासन वि शमशुददीन	बचाव साक्ष्य हेतु	08.05.2020	
7	वि.सत्र प्र 89/2017	शासन वि पिन्दू	अभियुक्त कथन हेतु	08.05.2020	

दिवानी प्रकरण

1	क्लेम प्र 187/2017	संतोषी वि सन्नी	अंतिम तर्क	11.05.2020	
2	क्लेम प्र 145/2018	सुलोचना वि सन्नी	अंतिम तर्क	11.05.2020	
3	क्लेम प्र 80/2016	कविता वि योगेश	अंतिम तर्क	04.05.2020	
4	क्लेम प्र 89/2017	सोहन वि अ.हमीद	अंतिम तर्क	04.05.2020	
5	क्लेम प्र 100/2017	मोहन वि सतीश	अंतिम तर्क	14.05.2020	
6	क्लेम प्र 101/2017	मोहन वि सतीश	अंतिम तर्क	14.05.2020	
7	क्लेम प्र 64/2017	मोनु वि राकेश	अंतिम तर्क	13.05.2020	
8	क्लेम प्र 103/2017	जगदीश वि नेशनल	अंतिम तर्क	13.05.2020	

तदनुसार समस्त अभिभाषकगण एवं पक्षकारगण सूचित हो।

sd/-

(साधना माहेबरी)

विशेष न्यायाधीश,

अजा/अजजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम
1989, पश्चिम निमाड मण्डलेक्षर

न्यायालय:-प्रवीण हजारे, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
प0नि0 मण्डलेश्वर(म.प्र.)

क...2009/2020

मण्डलेश्वर, दिनांक 15.04.2020

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी सर्कुलर क्र. क्यू-6 जबलपुर दिनांक 14.04.2020 के पालन में तथा भारत सरकार द्वारा लाकडाउन की अवधि दिनांक 03.05.2020 तक बढ़ायी जाने से समय-समय पर जारी किए गये निर्देशानुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगण के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिये गये हैं तथा उक्त दिनाकों में नियत समस्त प्रकरणों में आगामी तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी प्रकरण एवं स्थगन से संबंधित अति आवश्यक कार्य ही किया जावेगा। शेष कार्यवाहियों जिनमें अंतिम तर्क भी सम्मिलित है, दिनांक 03.05.2020 तक स्थगित रहेंगे।

तदनुसार इस न्यायालय में नीचे दर्शाए गए नियत दिनाकों में नियत प्रकरणों में उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को यथास्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जायेंगे।

सिविल एवं आपराधिक नियत प्रकरणों की तिथियाँ

क्रमांक	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01	15.04.2020	04.05.2020
02	16.04.2020	14.05.2020
03	17.04.2020	15.05.2020
04	20.04.2020	11.05.2020
05	21.04.2020	18.05.2020
06	22.04.2020	06.05.2020
07	23.04.2020	19.05.2020
08	24.04.2020	20.05.2020
09	25.04.2020	21.05.2020
10	27.04.2020	22.05.2020
11	28.04.2020	26.05.2020
12	29.04.2020	27.05.2020
13	30.04.2020	29.05.2020
14	01.05.2020	03.06.2020
15	02.05.2020	04.06.2020

इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल पर तथा दूसरी जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चस्पा की जाये।

आज्ञा से
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर

न्यायालय:-जिला एवं सत्र न्यायाधीश मण्डलेश्वर, पश्चिम निमाड
मण्डलेश्वर

॥ सूचना ॥

कोरोना वायरस(कोविड-19) के संबंध में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी सर्कुलर क्रमांक क्यु-6 जबलपुर दिनांक 14.04.2020 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर के आदेश क्रमांक क्यु/लेखा/2020 मण्डलेश्वर दिनांक 14.04.2020 के पालन में लाक-डाउन की अवधि दिनांक 03.05.2020 तक बढ़ाई जाने से तथा समय-समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशानुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगण के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिये गये हैं।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी प्रकरण एवं स्थगन से संबंधित अति आवश्यक प्रकृति के कार्य ही किया जावेगा। शेष कार्यवाहियों जिनमें अन्तिम तर्क भी सम्मिलित है दिनांक 03.05.2020 तक स्थगित रहेंगे।

तदनुसार इस न्यायालय में नीचे दर्शाए गए नियत दिनांकों में नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को यथास्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जायेंगे।

सिविल एवं आपराधिक नियत प्रकरणों की तिथियाँ

क्रं.	नियत दिनांक	सिविल प्रकरणों में आगामी नियत दिनांक	आपराधिक प्रकरणों में आगामी नियत दिनांक
1	15.04.2020	22.06.2020	12.05.2020
2	16.04.2020	23.06.2020	13.05.2020
3	17.04.2020	24.06.2020	14.05.2020
4	20.04.2020	26.06.2020	15.05.2020
5	21.04.2020	29.06.2020	18.05.2020
6	22.04.2020	02.07.2020	19.05.2020
7	23.04.2020	03.07.2020	20.05.2020
8	24.04.2020	06.07.2020	21.05.2020
9	25.04.2020	07.07.2020	—
10	27.04.2020	08.07.2020	—
11	28.04.2020	09.07.2020	—
12	29.04.2020	10.07.2020	—
13	30.04.2020	13.07.2020	—
14	01.05.2020	14.07.2020	—
15	02.05.2020	15.07.2020	—

इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल पर तथा दूसरी जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चस्पा की जाये। तदनुसार अधिवक्तागण एवं पक्षकारगण को सूचित हो।

आज्ञा से

[बी. आर. पाटिल]

जिला एवं सत्र न्यायाधीश मण्डलेश्वर

5/5

न्यायालय :-श्रीमती आरती शर्मा अनन्यतः विशेष न्यायाधीश

पाक्सो अधिनियम पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर

क्रमांक... 01 / आप.

मण्डलेश्वर, दिनांक 15.04.2020

कोरोना वायरस(कोविड-19) के संबंध में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी सर्कुलर क्रमांक क्यु-6 जबलपुर दिनांक 14.04.2020 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर के आदेश क्रमांक क्यु/लेखा/2020 मण्डलेश्वर दिनांक 14.04.2020 के पालन में लाक-डाउन की अवधि दिनांक 03.05.2020 तक बढ़ाई जाने से तथा समय-समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशानुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगण के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विस्त रहने के निर्देश दिये गये हैं।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी प्रकरण एवं स्थगन से संबंधित अति आवश्यक प्रकृति के कार्य ही किया जावेगा। शेष कार्यवाहियों जिनमें अन्तिम तर्क भी सम्मिलित है दिनांक 03.05.2020 तक स्थगित रहेंगे।

तदनुसार इस न्यायालय में नीचे दर्शाए गए नियत दिनांको में नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को यथास्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जायेंगे।

आपराधिक नियत प्रकरणों की तिथियाँ

क्रं.	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
1	15.04.2020	15.05.2020
2	16.04.2020	18.05.2020
3	17.04.2020	19.05.2020
4	20.04.2020	20.05.2020
5	21.04.2020	21.05.2020
6	22.04.2020	22.05.2020
7	23.04.2020	23.05.2020
8	24.04.2020	25.05.2020
9	27.04.2020	26.05.2020
10	28.04.2020	27.05.2020
11	29.04.2020	28.05.2020

इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल पर तथा दूसरी जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चस्पा की जाये।

आज्ञा से

{श्रीमती आरती शर्मा}

अनन्यतः विशेष न्यायाधीश

वैधिक अपराधो से बालको का संरक्षण

अधिनियम (पाक्सो अधिनियम) मण्डलेश्वर

**न्यायालय :- श्रीमती संगीता डावर मौर्य, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर म.प्र.**

॥ आम सूचना ॥

क्रमांक...8925.../आप.

मण्डलेश्वर, दिनांक 15.04.2020

कोरोना वायरस(कोविड-19) के संबंध में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी सर्कुलर क्रमांक क्यु-6 जबलपुर दिनांक 14.04.2020 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर के आदेश क्रमांक क्यु/लेखा/2020 मण्डलेश्वर दिनांक 14.04.2020 के पालन में लाक-डाउन की अवधि दिनांक 03.05.2020 तक बढ़ाई जाने से तथा समय-समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशानुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगण के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिये गये हैं।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी प्रकरण एवं स्थगन से संबंधित अति आवश्यक प्रकृति के कार्य ही किया जावेगा। शेष कार्यवाहियों जिनमें अन्तिम तर्क भी सम्मिलित है दिनांक 03.05.2020 तक स्थगित रहेंगे।

तदनुसार इस न्यायालय में नीचे दर्शाए गए नियत दिनांको में नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को यथार्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जायेंगे।

सिविल एवं आपराधिक नियत प्रकरणों की तिथियाँ

क्रं.	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
1	✓ 15.04.2020	06.05.2020
2	✓ 16.04.2020	08.05.2020
3	✓ 17.04.2020	11.05.2020
4	✓ 20.04.2020	12.05.2020
5	✓ 21.04.2020	13.05.2020
6	✓ 22.04.2020	14.05.2020
7	✓ 23.04.2020	15.05.2020
8	✓ 24.04.2020	18.05.2020
9	✓ 25.04.2020	18.05.2020
10	✓ 27.04.2020	19.05.2020
11	✓ 28.04.2020	20.05.2020
12	✓ 29.04.2020	21.05.2020
13	✓ 30.04.2020	22.05.2020
14	✓ 01.05.2020	22.05.2020
15	✓ 02.05.2020	22.05.2020
ग्राम न्यायालय		
16	✓ 24.04.2020	18.05.2020
17	✓ 27.04.2020	22.05.2020

इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल पर तथा दूसरी जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चस्पा की जाये। तदनुसार अधिवक्तागण एवं पक्षकारगण को सूचित हो।

आज्ञा से
(श्रीमती संगीता डावर मौर्य)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डलेश्वर
मण्डलेश्वर, म.प्र.

8/04/2020

न्यायालय :- श्री अरूण कुमार खरादी द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर (म0प्र0)

// सूचना-पत्र //

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जलबपुर के द्वारा एडवायजरी/निर्देश दिनांक 14/04/2020 के अनुपालन में समस्त सम्माननीय अधिवक्तागण एवं संबंधित पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15.04.2020 से 03.05.2020 तक इस न्यायालय में सुनवाई हेतु नियत समस्त सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में (अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरण जमानत आवेदन पत्र निवेदाज्ञा संबंधित आवेदन पत्रों को छोड़कर) निम्नानुसार आगामी तिथि नियत की जाती है:-

क्र.	नियत पेशी दिनांक	आगामी नियत पेशी दिनांक
1.	15.04.2020	12.05.2020
2.	16.04.2020	13.05.2020
3.	17.04.2020	14.05.2020
4.	18.04.2020	15.05.2020
5.	20.04.2020	18.05.2020
6.	21.04.2020	19.05.2020
7.	22.04.2020	20.05.2020
8.	23.04.2020	21.05.2020
9.	24.04.2020	22.05.2020
10.	25.04.2020	23.05.2020
11.	27.04.2020	25.05.2020
12.	28.04.2020	26.05.2020
13.	29.04.2020	27.05.2020
14.	30.04.2020	28.05.2020
15.	01.05.2020	29.05.2020
16.	02.05.2020	30.05.2020



15.11.20
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर (म0प्र0)
प. नि. मण्डलेश्वर

**न्यायालय- प्रथम सिविल जज वर्ग-1 मण्डलेश्वर के न्यायालय के अतिरिक्त जज
स्थान महेश्वर**

// सुचना पत्र //

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कोविड-19 को राष्ट्रीय आपदा बताते हुए संपूर्ण भारतदेश में लॉकडाउन की अवधि दिनांक 15.04.2020 से दिनांक 03.05.2020 तक बढ़ाई गयी है एवं माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा परिपत्र क्रमांक क्यू-6 दिनांकित 14.04.2020 जारी करते हुए म.प्र. राज्य के अधिन समस्त अधिनस्थ न्यायालय में इस अवधि दौरान अकार्य दिवस घोषित करते हुए केवल अत्याधिक आवश्यक कार्य जैसे रिमाण्ड, जमानत आवेदन, सुपुर्दगी आवेदन एवं सिविल प्रकरणों में अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन पर सुनवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा पत्र क्यू/लेखा/20/दिनांकित 14.04.2020 जारी करते हुए दिनांक 15.04.2020 से दिनांक 03.05.2020 तक निर्धारित समस्त आपराधिक एवं सिविल प्रकरण की आगामी तिथि निर्धारित करने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः सभी पक्षकारगण एवं अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15.04.2020 से दिनांक 03.05.2020 तक निर्धारित प्रकरणों की आगामी तिथि निम्नानुसार रहेगी :-

पेशी दिनांक	सिविल प्रकरणों की आगामी तिथि	आपराधिक प्रकरणों की आगामी तिथि
15.04.2020	15.06.2020	02.06.2020
16.04.2020	15.06.2020	03.06.2020
17.04.2020	16.06.2020	04.06.2020
18.04.2020	16.06.2020	08.06.2020
20.04.2020	17.06.2020	08.06.2020
21.04.2020	17.06.2020	09.06.2020
22.04.2020	18.06.2020	10.06.2020
23.04.2020	18.06.2020	11.06.2020
24.04.2020	18.06.2020	11.06.2020
25.04.2020	—	12.06.2020
27.04.2020	18.06.2020	12.06.2020
28.04.2020	—	12.06.2020
29.04.2020	—	15.06.2020
30.04.2020	—	—
01.05.2020	—	—
02.05.2020	—	15.06.2020


(विष्णु भास्कर) 15.4.2020
 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, मण्डलेश्वर
 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश
 स्थान-महेश्वर

(मीनाक्षी दंदेलिया)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, मण्डलेश्वर
के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश
रमन-महेश्वर



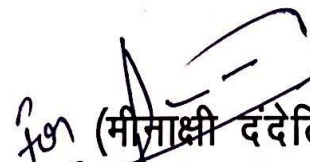
न्यायालय:- मीनाक्षी दंदेलिया चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, महेश्वर प.नि.

आवश्यक-सूचना

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुये इस न्यायालय में लंबित दिनांक 15-04-2020 से दिनांक 03-05-2020 के प्रकरण निम्नानुसार तालिका में दर्शाये अनुसार आगामी पेशी तारीख नियत की जाती है:-

सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की अग्रीम नवीन तारीख

पेशी तारीख	आगामी नियत पेशी तारीख
15.04.2020	05.05.2020
16.04.2020	06.05.2020
17 एवं 18.04.2020	08.05.2020
20.04.2020	09.05.2020
21.04.2020	11.05.2020
22.04.2020	12.05.2020
23.04.2020	13.05.2020
24.04.2020	14.05.2020
25, 27 एवं 28.04.2020	15.05.2020


(मीनाक्षी दंदेलिया)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
महेश्वर प.नि.

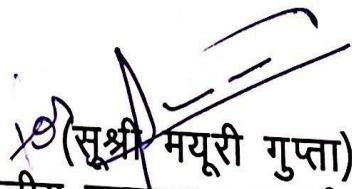
न्यायालय:-सूश्री मयूरी गुप्ता तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, महेश्वर प.नि.

आवश्यक-सूचना

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुये इस न्यायालय में लंबित दिनांक 15-04-2020 से दिनांक 03-05-2020 के प्रकरण निम्नानुसार तालिका में दर्शाये अनुसार आगामी पेशी तारीख नियत की जाती है:-

सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की अग्रिम नवीन तारीख

पेशी तारीख	आगामी नियत पेशी तारीख
15.04.2020	08.05.2020
16.04.2020	09.05.2020
17.04.2020	11.05.2020
18.04.2020	12.05.2020
20.04.2020	13.05.2020
21.04.2020	14.05.2020
22 एवं 27.04.2020	15.05.2020


(सूश्री मयूरी गुप्ता)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
महेश्वर प.नि.



**न्यायालय— जिला न्यायालय, जबलपुर, व्यवहार न्यायाधीश
वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, बडवाह
पश्चिम निमाड म.प्र.**

// आम सूचना //

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के मेमो क्रमांक ब्यु.-6 जबलपुर दिनांक 14.04.2020 के द्वारा कोरोना वायरस कोविड -19 महामारी के कारण दिनांक 14.04.2020 तक घोषित लाकडाउन को दिनांक 03.05.2020 तक विस्तारित किया गया है। अतः त्वरित प्रकरणों को छोड़कर इस न्यायालय में नियत दिवानी एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु आगामी तिथि नियत की जाती है।

अतः इस न्यायालय में पूर्व से नियत प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुये आज दिनांक 15.04.2020 से दिनांक 03.05.2020 तक के लंबित सिविल एवं आपराधिक शाखा के प्रकरण जो कॉलम क्रमांक-2 में उल्लेखित पेशी दिनांक के क्रमांक-3 में उल्लेखित तिथियों को उसी प्रक्रम पर सुनवाई में लिये जावेंगे।

क्रमांक	पेशी दिनांक	आगामी पेशी दिनांक
1	15.04.2020	11.05.2020
2	16.04.2020	13.05.2020
3	17.04.2020	14.05.2020
4	18.04.2020	15.05.2020
5	20.04.2020	15.06.2020
6	21.04.2020	15.06.2020
7	22.04.2020	16.06.2020
8	23.04.2020	17.06.2020
9	24.04.2020	17.06.2020
10	25.04.2020	20.06.2020 24/06/2020
11	27.04.2020	25.06.2020 25/06/2020
12	28.04.2020	22.06.2020
13	29.04.2020	23.06.2020
14	30.04.2020	23.06.2020

(जितेंद्र सिंह परमार)
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बडवाह

न्यायालय:- द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बडवाह पश्चिम निमाड

// सूचना-पत्र //

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के मेमो क्र. क्यू-6 जबलपुर दिनांक 14.04.2020 के द्वारा कोरोना वायरस काविड 19 महामारी के कारण दिनांक 14.04.2020 तक घोषित लॉकडाउन को दिनांक 03.05.2020 तक विस्तारित किया गया है। अतः त्वरित प्रकृति के प्रकरणों को छोड़कर, इस न्यायालय में नियत दीवानी एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु आगामी तिथि नियत की जाती है। इस न्यायालय में पूर्व से नियत प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए आज दिनांक 15.04.2020 से दिनांक 02.05.2020 तक नियत प्रकरणों को निम्नलिखित चार्ट में दर्शित तिथि को उसी प्रक्रम पर लिया जावेगो।

क्रमांक	पेशी दिनांक	आगामी नियत पेशी दिनांक आपराधिक प्रकरण	आगामी नियत पेशी दिनांक सिविल प्रकरण
1	15.04.2020	25.05.2020	16.06.2020
2	16.04.2020	26.05.2020	17.06.2020
3	17.04.2020	27.05.2020	18.06.2020
4	18 व 20.04.2020	28.05.2020	19.06.2020
5	21.04.2020	29.05.2020	22.06.2020
6	22.04.2020	30.05.2020	23.06.2020
7	23.04.2020	02.06.2020	24.06.2020
8	24.04.2020	03.06.2020	25.06.2020
9	25.04.2020	04.06.2020	26.06.2020
10	27.04.2020	05.06.2020	29.06.2020
11	28.04.2020	08.06.2020	30.06.2020
12	29.04.2020	09.06.2020	02.07.2020
13	30.04.2020	10.06.2020	03.07.2020
14	01 व 02.05.2020	11.06.2020	04.07.2020

(प्रवीण शिवहरे)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बडवाह
पश्चिम निमाड (म प्र)

न्यायालय-हर्ष भदौरिया, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वाह जिला-
मण्डलेश्वर प0 नि0

-:आवश्यक सूचना:-

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन तथा समस्त भारत देश में लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए **सर्वसाधारण तथा इस न्यायालय के प्रकरणों से संबंधित समस्त अभिभाषकगण** को सूचित किया जाता है की कोरोना वायरस के संक्रमण को रोके जाने हेतु सुरक्षात्मक दृष्टि से दिनांक **15/04/2020** से दिनांक **03/05/2020** तक समस्त आपराधिक मामलों से संबंधित सभी प्रकरणों में अग्रिम पेशी दिनांक निर्धारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः **(अपरिहार्य स्थिति जैसे रिमाण्ड जमानत शीघ्र सुनवाई तथा अंडर ट्रायल अभियुक्तगण के मामलों को छोड़कर)** सभी आपराधिक प्रकरण निम्नलिखित दिनांक 15/04/2020 से दिनांक 03/05/2020 तक के आपराधिक प्रकरण निम्नलिखित दिनांक के सामने लिखी नवीन अग्रिम दिनांक को सुनवाई पर लिये जायेंगे।

इस हेतु अभिभाषकगण अपने अपने पक्षकारों को अपने स्तर पर अवगत कराने का कष्ट करें।

क्रमांक	पेशी दिनांक	आगामी पेशी दिनांक
1	15/4/20	04/05/20
2	16/4/20	05/05/20
3	17/4/20	06/05/20
4	20/4/20	08/05/20
5	21/4/20	11/5/20
6	22/4/20	12/5/20
7	23/4/20	13/5/20
8	24/4/20	14/5/20
9	27/4/20	15/5/20

(हर्ष भदौरिया)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश

बड़वाह

(हर्ष भदौरिया)

विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से
बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012,
बड़वाह, जिला-मण्डलेश्वर (म.प्र.)

**न्यायालय-सुधीरसिंह निगवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं व्यवहार
न्यायाधीश वर्ग-1, बडवाह जिला- मण्डलेश्वर प0 नि0**

-:आवश्यक सूचना:-

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन तथा समस्त भारत देश में लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए **सर्वसाधारण तथा इस न्यायालय के प्रकरणों से संबंधित समस्त अभिभाषकगण** को सुचित किया जाता है की कोरोना वायरस के संक्रमण को रोके जाने हेतु सुरक्षात्मक दृष्टि से दिनांक **15/04/2020** से दिनांक **03/05/2020** तक समस्त सिविल एवं आपराधिक मामलों से संबंधित सभी प्रकरणों में अग्रिम पेशी दिनांक निर्धारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः (अपरिहार्य स्थिति जैसे रिमाण्ड जमानत रीघ सुनवाई तथा निषेधाज्ञा मामलों तथा अंडर ट्रायल अभियुक्तगण के मामलों को छोड़कर) सभी सिविल एवं आपराधिक प्रकरण निम्नलिखित दिनांक 15/04/2020 से दिनांक 03/05/2020 तक के सिविल एवं आपराधिक प्रकरण निम्नलिखित दिनांक के सामने लिखी नवीन अग्रिम दिनांक को सुनवाई पर लिये जायेंगे।

इस हेतु अभिभाषकगण अपने अपने पक्षकारों को अपने स्तर पर अवगत कराने का कष्ट करें।

सिविल एवं आपराधिक दोनों प्रकरणों हेतु अग्रिम नवीन दिनांक		
क्रमांक	पेशी दिनांक	आगामी पेशी दिनांक
1	15/4/20	15/6/20
2	16/4/20	16/6/20
3	17/4/20 एवं 18/4/20	17/6/20
4	20/4/20	18/6/20
5	21/4/20	19/6/20
6	22/4/20	22/6/20
7	23/4/20	23/6/20
8	24/4/20 एवं 25/4/20	24/6/20
9	27/4/20	25/6/20
10	28/4/20	26/6/20
11	29/4/20, 30/4/20, 1/5/20 एवं 2/5/20	27/6/20

(सुधीर सिंह निगवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बडवाह

**न्यायालय:- महेन्द्र सैनी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सनावद**

//आम सूचना//

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के एडवायजरी /निर्देश के अनुपालन तथा समस्त भारत देश में लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए सर्वसाधारण तथा इस न्यायालय के प्रकरणों से संबंधित समस्त अभिभाषकगण को सूचित किया जाता है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोके जाने हेतु सुरक्षात्मक दृष्टि से दिनांक 15.04.2020 से दिनांक 03.05.2020 तक समस्त सिविल एवं आपराधिक मामलों से संबंधित सभी प्रकरणों अग्रीम पेशी दिनांक निर्धारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है ।

अतः (अपरिहार्य स्थिति जैसे रिमाण्ड जमानत , शीघ्र सुनवाई तथा निषोधाज्ञा मामलों तथा अंडर ट्रायल अभियुक्तगणों को छोड़कर) सभी सिविल एवं आपराधिक प्रकरण में दिनांक 15.04.2020 से दिनांक 03.05.2020 तक निम्नानुसार अग्रीम दिनांक को सुनवाई में लिये जाते हैं ।

इस हेतु अभिभाषकगण अपने अपने पक्षकारों को अपने स्तर पर अवगत कराने का कष्ट करें ।

सरल क्रमांक	पेशी तारीख	आपराधिक प्रकरणों हेतु नियत पेशी तारीख	सिविल प्रकरणों हेतु नियत पेशी तारीख
1	15.04.2020	18.05.2020	05.05.2020
2	16.04.2020	19.05.2020	
3	17.04.2020	20.05.2020	
4	18.04.2020	21.05.2020	06.05.2020
5	20.04.2020	22.05.2020	
6	21.04.2020	23.05.2020	
7	22.04.2020	25.05.2020	08.05.2020
8	23.04.2020	26.05.2020	
9	24.04.2020	27.05.2020	11.05.2020
10	25.04.2020	28.05.2020	
11	27.04.2020	29.05.2020	
12	28.04.2020	30.05.2020	12.05.2020
13	29.04.2020	02.06.2020	
14	30.04.2020	03.06.2020	
15	01.05.2020	04.06.2020	13.05.2020
16	02.05.2020	05.06.2020	

(महेन्द्र सैनी)

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश
वर्ग-2 एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
सनावद प0नि0

—आवश्यक सूचना—

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एडवाईजरी/निर्देश के अनुपालन तथा समस्त भारत देश में लाकडाउन की स्थिति को देखते हुए सर्वसाधारण तथा इस न्यायालय के प्रकरणों से संबंधित समस्त अभिभाषकगण को सुचित किया जाता है कि कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण को रोके जाने हेतु सुरक्षात्मक दृष्टि से दिनांक 15.04.2020 तक समस्त सिविल एवं आपराधिक मामलों से संबंधित सभी प्रकरणों में अग्रिम पेशी दिनांक निर्धारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः (अपरिहार्य स्थिति जैसे रिमाण्ड, जमानत, शीघ्र तथा निषेधाज्ञा मामलों, तथा अंडर ट्रायल अभियुक्तगण के मामलों को छोड़कर) सभी सिविल एवं आपराधिक मामलों में दिनांक 15.04.2020 से दिनांक 03.05.2020 तक के सिविल एवं आपराधिक प्रकरण सूचना के संलग्न सूची अनुसार दिनांक के सामने लिखी नवीन अग्रिम दिनांक को सुनवाई पर लिये जायेंगे।

पूर्वनियत दिनांक	आगामी दिनांक			
	आपराधिक प्रकरण हेतु			दीवानी प्रकरण हेतु
15-04-2020			05-05-2020	05-05-2020
16-04-2020			06-05-2020	06-05-2020
17-04-2020			08-05-2020	08-05-2020
18-04-2020			12-05-2020	09-05-2020
20-04-2020			14-05-2020	11-05-2020
21-04-2020	सूची अनुसार प्रकरण क्रमांक	1 To 25	18-05-2020	
		26 to 50	20-05-2020	
		51 to 81	22-05-2020	
22-04-2020	सूची अनुसार प्रकरण क्रमांक	1 To 25	25-05-2020	
		26 to 56	27-05-2020	
23-04-2020	सूची अनुसार प्रकरण क्रमांक	1 to 35	29-05-2020	
		36 to 70	12-06-2020	
24-04-2020	सूची अनुसार प्रकरण क्रमांक	1 to 30	15-06-2020	
		31 to 63	16-06-2020	
25-04-2020	सूची अनुसार प्रकरण क्रमांक	1 to 30	18-06-2020	12-05-2020
		31 to 58	22-06-2020	
27-04-2020			24-06-2020	
28-04-2020	सूची अनुसार प्रकरण क्रमांक	1 to 30	25-06-2020	
		31 to 59	29-03-2020	
29-04-2020			03-07-2020	
30-04-2020			06-07-2020	
01-05-2020				
02-05-2020				

चारुलता दांगी

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सनावद जिला मण्डलेश्वर (म0प्र0)

